Continuation Note Sheet

09-1-24 पैराकार राज उपस्थित। वकील अप्रार्थी उपस्थित। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। पैरोकार राज द्वारा सहमति जाहिर की गई। बहस सुनी गई। पैरोकार राज द्वारा बहस में कथन किए गये कि प्रार्थीगण द्वारा मौका पर कृषि भूमि पर अकृषि कार्य कर 10 से 12 फुट उंची दीवार बना कर लोहे का गेट लगाया हुआ है। जैसा कि तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में स्पष्ट अंकिन किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 177 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आरजी बहक सरकार घोषित की जावे। वकील अप्रार्थी द्वारा बहस में कथन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा मौका पर किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं की जा रहा है। उक्त रकबा पर छोटे छोटे पोधे व घास लगा हुआ है व उनकी रक्षा के लिए आवारा पशुओं से बचानें के लिए प्रार्थीगण द्वारा चारों ओर 10 से 12 फुट उंची दीवार का निर्माण कर गेट लगाया हुआ है। यदि फिर भी सरकार को किसी प्रकार का ऐतराज हो तो प्रार्थीगण को समय दिया जावे प्रार्थीगण सक्षम कार्यालय से उक्त रकबा को संपरिवर्तन करवा लेंगे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत जवाब प्रार्थीगण एवं तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि को संपरिवर्तन करवाने का कथन किया गया है और प्रार्थी उक्त भूमि को संपरिवर्तन करवाना चाहता है। जब तक प्रकरण में 177 आर.टी.ए. के तहत कार्यवाही विचाराधीन होती है तब तक सक्षम प्रधिकारी द्वारा संपरिवर्तन नहीं किया जा सकता। धारा 177 आर.टी.ए. का उद्देश्य काश्तकार को बेदखल करना नहीं अपीतु बिना भूमि संपरिवर्तन करवाये एवं राजस्व जमा करवाये कृषि भूमि पर अकृषि कार्य को रोकना है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. इस शर्त के साथ खारिज किया जाता है कि अप्रार्थीगण तीन माह के भीतर प्रश्नगत भूमि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा संपरिवर्तित करवा कर उसकी प्रति तहसीलदार को प्रस्तुत करे अन्यथा इस अवधि पश्चात् तहसीलदार पुनः इस प्रार्थना पत्र/दावे को रिस्टोर करवाने हेतु स्वतंत्र रहेगा। तहसीलदार श्रीगंगानगर/स्टेट को आदेशित किया जाता है कि निर्णय दिनांक से तीन माह पश्चात् यदि अप्रार्थी द्वारा प्रश्नतगत आराजी के भूमि रूपान्तरण सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो पुनः वाद को रिस्टोर करवा कर आगमी कार्यवाही करे।

उक्त विवेचन व शर्ताधीन वाद अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिंनाक 09.01.2024 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 10:14:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner